अनुदान संख्या 87 - लघु उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 87–MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	442,10,00		446,15,00	438,43,53	–7,71,47
पूरक	Supplementary	4,05,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3,00,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	18,20,00		27,67,00	15,00,00	–12,67,00
पूरक	Supplementary	9,47,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					12,67,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (771.47 लाख रु.) अगस्त, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 405.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.771.47 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.405.00 lakhs obtained in August, 2005 and March, 2006 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	3709.00			
पू.	S.	320.00	0.25	. .	–0.25
पु.	R.	–4028.75			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2851'' ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	39620.00			
पू.	S.	85.00	43476.67	43029.60	–447.07
पु.	R.	3771.67			

(I) 4039.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 4029.00 लाख रु. (320.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) अकेले मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.4039.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.4029.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.320.00 lakhs) alone accounted for under Major Head "2552"- "Other Expenditure - Provision for North Eastern Region and Sikkim"- due to re-appropriation of part funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(II) Under Major Head "2851" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''अनुसंधान और विकास - अनुसंधान संस्थाएं'' - 150.26 लाख रु. की बचत (1120.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्पाद प्रक्रिया विकास केंद्र, कन्नौज के निर्माण को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और संस्थान द्वारा अधिक राजस्व जुटाए जाने के कारण हुई।

(A) "Research and Development - Research Institutions"- saving of Rs.150.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1120.00 lakhs) was due to delay in finalisation of construction of Product Process Development Centre, Kannauj and higher revenue generation by the Institute.

(खा) ''लघु उद्योग'' -

(B) "Small Scale Industries"-

(क) ''ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का अवसंरचनात्मक विकास'' - 628.86 लाख रु. की बचत (2697.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त न होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Infrastructural Development of SSI in Rural Areas" - saving of Rs.628.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2697.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to poor response from State Governments/implementing agencies.

(ख) ''परीक्षण केंद्र'' - 149.51 लाख रु. की बचत (405.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुणवत्ता

(b) "Testing Centres"- saving of Rs.149.51 lakhs (against the sanctioned provision of

अंकन केंद्रों/उद्योग संघों से निधियों की कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) ''सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम'' - 175.00 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 66.65 लाख रु. की बचतें हुईं जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1072.47 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2851'' - ''लघु उद्योग - प्रौद्योगिकी उन्नयन'' के अंतर्गत 85.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 782.71 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''लघु उद्योग'' -

(क) ''लघु उद्योग सेवा संस्थान'' - 219.60 लाख रु. का अधिक व्यय (4051.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु उद्योग मार्ट की स्थापना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड '' - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों के लिए बड़ी प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए लघु उद्योग मार्ट में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने के कारण हुआ।

(ग) ''औजार कक्ष'' - 445.74 लाख रु. का अधिक व्यय (2650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Rs.405.00 lakhs) was due to less demand for funds from Quality Marking Centres/ Industry Associations.

(c) "Micro Finance Programme" - saving of Rs.175.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by Small Industries Development Bank of India.

(III) Under one head saving of Rs.66.65 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1072.47 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.85.00 lakhs under Major Head "2851"-"Small Scale Industries - Technology Upgrdation". Actual excess, however, was Rs.782.71 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851"- under the following heads:-

(A) "Small Scale Industries"-

(a) "Small Industries Service Institutes"- excess of Rs.219.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4051.00 lakhs) was due to additional requirement for establishment of Laghu Udyog Mart.

(b) "National Small Industries Corporation Ltd." – excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2380.00 lakhs) was due to erection of Infrastructural facilities at Laghu Udyog Mart for organising bigger exhibitions for products of Small Scale Industries Units.

(c) "Tool Rooms" – excess of Rs.445.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2650.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम'' - 2589.83 लाख रु. का अधिक व्यय (18000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और साथ ही लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास के समूह के बढ़े हुए आकार के कारण हुआ।

(ख) ''प्रशिक्षण संस्थान'' - 164.77 लाख रु. का अधिक व्यय (320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और साथ ही राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान और उद्यमशीलता विकास संस्थाओं से अतिरिक्त मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (1267.00 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 947.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 46 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(B) "Other Expenditure"-

(a) "Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries Sector" - excess of Rs.2589.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18000.00 lakhs) was due to re-appropriation of part funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also on account of increased size of corpus of Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries (CGTSI).

(b) "Training Institutions"- excess of Rs.164.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.320.00 lakhs) was due to re-appropriation of part funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and also on account of additional demand from National Institute of Small Industries Extension Training (NISIET) and Entrepreneurship Development Institutions (EDI).

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.1267.00 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.947.00 lakhs obtained in March, 2006 and constituted 46 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	420.00	..	..	..
पु.	R.	–420.00			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "6851" ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6851" Loans for Village and Small Industries				
पू.	S.	947.00			
.		. .		. .	. .
पु.	R.	–947.00			

(I) 1367.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.1367.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान" - 420.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552" "Other Expenditure – Provision for North Eastern Region and Sikkim"- Rs.420.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "6851" - "लघु उद्योग - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम आदि के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान" - 947.00 लाख रु. का पूरक अनुदान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा अधिक ब्याज दर पर कर्ज स्वीकार न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "6851" - "Small Scale Industries - Provision for implementation of Voluntary Retirement Scheme etc." - supplementary grant of Rs.947.00 lakhs - due to non-acceptance of loan by National Small Industries Corporation Ltd. at higher rate of interest.